पंजीयन क्रमांक 01/01/01/38865

॥ नमामि मातु नर्मदे ॥

शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश

(स्कूल शिक्षा सेवा)

SHASKIYA SHIKSHAK SANGTHAN MADHYAPRADESH

राकेश दुबे
प्रांताध्यक्ष

कार्यालय पता- 47 शिवनगर करोद बैरसिया रोड भोपाल म.प्र.462038 (SCHOOL SHIKSHA SEVA)

Mob.: 9893600170, 6267492251, email : rakeshdubey1508@gmail.com

संगठन का उद्देश्य-म.प्र. में शिक्षा-शिक्षार्थी-शिक्षालय और शिक्षक का सर्वांगीण विकास (जय माँ भारती-जय मध्यप्रदेश)

उपेन्द्र कौशल कार्य.प्रदेश अध्यक्ष मो.नं.9827532410	संजीव त्रिपाठी प्रांतीय सचिव मोबा. 9644725676	भरत गोयल कोषाध्यक्ष मोबा.9826938659	उमेश सोनी प्रादेश महामंत्री मोबा.9826929036	पृथ्वी सिंह रघुवंशी प्रांतीय उपाध्यक्ष

क्रमांक : SSS/2026/115 दिनांक : 12/10/2026

प्रति, आयुक्त महोदय,
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय: स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने एवं उच्च पद का प्रभार संभाल रहे ए पात्र शिक्षकों को नियमित पदोन्नति का लाभ प्रदान करने बाबत।

महोदय, सविनय निवेदन है कि मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है, जबकि जनजातीय कार्य विभाग में सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पदों पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। दोनों विभागों में समान योग्यता एवं सेवा शर्तें होने के बावजूद पदोन्नति के अवसरों में अंतर होना शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है।

अतः शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश की प्रमुख मांगें हैं—

1. स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर पात्र शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति दी जाए।
2. जनजातीय कार्य विभाग की भाँति स्कूल शिक्षा विभाग में भी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं।
3. उच्च पद का प्रभार संभाल रहे पात्र शिक्षकों के नियमित पदोन्नति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर आदेश जारी किए जाएं।
4. पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र एवं समयबद्ध कार्यवाही कर पात्र शिक्षकों को नियमित पदोन्नति का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

Ukaushal

भवदीय,
उपेन्द्र कौशल,
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष,
शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल,
मोबाइल: 9827532410

प्रतिलिपि:

1. माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

/

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
आदि भवन, अरेरा हिल्स, मध्यप्रदेश

Email-shikshasthapna.ctd@mp.gov.in

क्रमांक/शिक्षा स्था.2/1373/2026/1554-9 भोपाल, दिनांक 17/08/2026

एतद् द्वारा जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत निम्नलिखित स्नातकोत्तर उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक को व्याख्याता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से (छटवां वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 ग्रेड-पे) सातवें वेतनमान में रूपये 36200-114800 (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 में विनिर्दिष्ट पे-मैट्रिक्स लेवल-9) में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	विषय	वर्तमान पदस्थापना स्थान	जिला
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार मालवीय	अर्थशास्त्र	मा.शा. बी.ए.सी.	मण्डला
2	श्री दिनेश कुमार पाटीदार	अर्थशास्त्र	शा.एकी. बालक उ.मा.वि शिवगढ	रतलाम
3	श्री अनिल सिंह	गणित	जिला शिक्षा केन्द्र अनुपपूर	अनूपपुर
4	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	जीवविज्ञान	आदर्श अनु.जा.कन्या आश्रम	रीवा
5	श्री एन.के. राय	अर्थशास्त्र	इटावा	छिन्दवाड़ा
6	श्री अजब सुख सिंह	गणित	शा.उ.मा.वि. खाडा, जिला अनूपपुर	अनूपपुर
7	श्री बृजकिशोर पाण्डे	गणित	मा.शा. बालक गोहपारू	शहडोल
8	श्री मनोज राय	गणित	मा.शा.भरकावाड़ी	बैतूल
9	श्री नवनीत चौहान	हिन्दी	क.मा.वि.खेतिया	बड़वानी
10	श्री पवन कुमार त्रिपाठी	राजनीति	हाईस्कूल अमलई कालरी	शहडोल

Scanned with OKEN Scanner

264	श्री झुलाई प्रसाद प्रजापति	भूगोल	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय छतवई पिपरिया शहडोल	शहडोल

उपरोक्त व्याख्याताओं की पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4. उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगी।

5. पदोन्नत शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

6. उक्त आदेश का क्रियान्वयन करने के पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्तानुसार संबंधित शासकीय सेवकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक/विभागीय कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। यदि ऐसी कोई जानकारी संज्ञान में आती है तो आदेश क्रियान्वयन के पूर्व उक्त जानकारी विभाग के संज्ञान में लाई जायें।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिक्षा स्था.2/1373/2026/15550 भोपाल, दिनांक 17/08/2026

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल।
(4) आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
(5) संचालक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, मध्यप्रदेश भोपाल।
(6) संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) बालाघाट मध्यप्रदेश

Email Id- actw.bgt@mp.gov.in

क्रमांक/ 2976 /शि.स्था.2/पदो./ज.जा.का.वि./2026, बालाघाट, दिनांक 02/09/2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रं/1-1-3-0005-2025-GAD-3-एक-(GAD) (1), भोपाल, दिनांक 19 जून 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 में निहित प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले में विभागान्तर्गत पदस्थ निम्नांकित स्नातक एवं प्रशिक्षित सहायक शिक्षक को **उच्च श्रेणी शिक्षक** के पद पर कार्य ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सातवां वेतनमान रूपये 32800-103600 (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 में विनिर्दिष्ट पे-मैट्रिक्स लेवल-8) में निम्न शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.	सहायक शिक्षक का नाम	विषय	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	संकुल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री हेमेन्द्र कुमार नेवारे	सामा.विज्ञान	बा.प्रा.शा. दमोह	उमावि दमोह
2	श्री रमेश सिंह धुर्वे	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. बोदा (गढ़ी)	उमावि गढ़ी
3	श्री व्ही.एस.मेरावी	सामा.विज्ञान	मा.शाला जानपुर	उमावि जानपुर
4	श्री बी.एस. टेकाम	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. नहरटोला	उमावि पल्हेरा
5	श्री एल.सी. अमूले	सामा.विज्ञान	क.मा.शा. परसवाडा	क.उ.मा.वि. परसवाड़ा
6	श्री के.आर. प्रजापति	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. सुमेरीखेडा	उमावि क. बैहर
7	श्रीमती उर्मिला राणा	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. मोहगॉव	उमावि मोहगॉव
8	श्रीमती पार्वती उईके	सामा.विज्ञान	मा.शा. कुरेण्डा	क.उ.मा.वि. परसवाड़ा
9	श्री विमल गिरी गोस्वामी	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. दलदला	उमावि बा. उकवा
10	श्री छबिलाल कुमरे	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. दर्जीटोला	उमावि मोहगॉव
11	श्रीमती मनीषा उईके	सामा.विज्ञान	कन्या छात्रावास मण्डई	उमावि मंडई
12	श्री कैलाशचन्द्र बिसेन	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. कोडका	उमावि मोहनपुर
13	श्रीमती यशोदा मडावी	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. बैहर	क.उ.मा.वि. बैहर
14	श्री महेश कुमार परमार	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. घोदी ब.	उमावि उकवा
15	श्री मन्नूसिंह मेरावी	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. मोहबटटा	क.उ.मा.वि. बैहर
16	श्री एन.एल.सिंहमारे	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. घोंदी बड़ी	उमावि उकवा
17	श्रीमती द्वारकन घोरमारे	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. बारंग (उ)	उमावि कन्या उकवा
18	श्री घुरेलाल टेकाम	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. बाकीगुडा	उमावि पल्हेरा
19	श्री प्रदीपकुमार मरकाम	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. दूधी	शास.उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा
20	श्री एल.के. रनगिरे	हिन्दी	मा.शा. गुदमा	उमावि उकवा
21	श्रीमती माहेश्वरी चौधरी	हिन्दी	प्रा.शा. लफरा	उमावि डाबरी
22	श्री नरूत्तम सिंह पंद्रे	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. जगनटोला	उमावि बा उकवा
23	श्री गजेन्द्र कुमार मेश्राम	हिन्दी	प्रा.शा. बाकल	उमावि पल्हेरा
24	श्री कैलाशकुमार नंदनवार	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. मरारीटोला	उमावि जानपुर
25	श्री प्रतापसिंह कौले	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. चारटोला	शास.उ.मा.वि. गढ़ी
26	श्री एच.एस. मेरावी	सामा.विज्ञान	मा.शा. गुराखारी	सांदीपनि विद्यालय आमगॉव
27	श्री अरूणकुमार माग्रे	हिन्दी	प्रा.शा. खजरा	उमावि खजरा
28	श्री कन्हैयालाल मेरावी	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. बारिया	हाईस्कूल नाटा

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	सहायक शिक्षक का नाम	विषय	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	संकुल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	श्रीमती रूपवती मेरावी	सामा.विज्ञान	कन्या छात्रावास गढ़ी	उ.मा.वि. गढ़ी
30	श्रीमती सरला जामने	हिन्दी	प्रा.शा. बंजारीटोला	उमावि मलाजखण्ड
31	श्री ए.के. सिसोदिया	सामा.विज्ञान	प्रा.शा. सुमेरीखेडा	उमावि क. बैहर
32	श्रीमती अनिता राउत	सामा.विज्ञान	उ.मा.शा. क.बैहर	उमावि क. बैहर

शर्तें:-

1. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परिवीक्षण अवधि के लिए होगी।
2. प्रमाणित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां एवं अन्य पिछड़ें वर्गो के लिए संरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है, तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
3. उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगी।
4. यदि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच, आपराधिक प्रकरण चल रहा है अथवा प्रकाश में आता तथा वह निलंबित है, तो ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में यह पदोन्नति आदेश शून्य माना जावेगा।
5. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र दिनांक 19 जून, 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 की कंडिका 16 के तहत् पदोन्नति आदेश प्रभाशील होने के दिनांक से पदोन्नत शासकीय सेवक द्वारा पदभार ग्रहण किया जायेगा। ऐसे मामले में जहां किसी लोकसेवक द्वारा पदोन्नत पद पर दो माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिवलि सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं उसको आगामी 5 वर्षों के लिये पदोन्नति से वंचित किया जा सकेगा।
6. जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
7. समस्त पदोन्नत किये गये शिक्षक वर्तमान में जिस शाला में पदस्थ हैं, उसी कार्यालय में पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। समस्त पदोन्नत लोक सेवकों को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है।
8. उपरोक्त उच्च श्रेणी शिक्षक का पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

(कलेक्टर महो. एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित)

(शकुंतला डामोर)
सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner